...लाल पिता बंशीलाल कुमावत निवासी हरपुरा तहसील बेगूँ
प्रकाशचन्द्र पिता प्यारचंद कुमावत निवासी बरनियास तहसील बेगूँ

... प्रार्थी

बनाम

1. नगजीराम पिता तेजराम कुमावत निवासी हरपुरा तहसील बेगूँ
2. रमेश पिता हीराजी कुमावत निवासी हरपुरा तहसील बेगूँ
3. चन्द्र बाई पत्नी हीराजी कुमावत निवासी हरपुरा तहसील बेगूँ
4. चन्दु पिता तेजराम कुमावत निवासी हरपुरा तहसील बेगूँ
5. सरजु पिता तेजराम कुमावत निवासी हरपुरा तहसील बेगूँ
6. बालु पिता डालु कुमावत निवासी हरपुरा तहसील बेगूँ
7. रतनसिंह पिता जवाहरसिंह राजपूत निवासी हरपुरा तहसील बेगूँ
8. केसरसिंह पिता भोपालसिंह राजपूत निवासी हरपुरा तहसील बेगूँ
9. प्रहलादसिंह पिता रूपसिंह राजपूत निवासी हरपुरा तहसील बेगूँ
10. शंभुसिंह पिता रूपसिंह राजपूत निवासी हरपुरा तहसील बेगूँ
11. प्रकाश पिता देबीलाल कुमावत निवासी हरपुरा तहसील बेगूँ
12. हीरालाल पिता देबीलाल कुमावत निवासी हरपुरा तहसील बेगूँ
13. बालु पिता बंशीलाल कुमावत निवासी हरपुरा तहसील बेगूँ
14. श्रीमान् भुमिधारी जी तहसीलदार सा0 तहसील कार्यालय बेगूँ

.... विपक्षीगण

उपस्थितः:– श्री एल.आर.कुमावत
अभिभाषक प्रार्थी

आदेश दिनांकः– 11.06.2019

**आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का अधिवक्ता श्री एल.आर.कुमावत द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हरपुरा पटवार हल्का पारसोली तहसील बेगूँ खाता संख्या 20 में अंकित आराजी नम्बर 136,156 रकबा 0.4300 हे0, खाता संख्या 21 आराजी संख्या 109,110,111 रकबा 0.2900 हेक्टर तथा खाता संख्या 22 में अंकित आराजी संख्या 132,158,159 रकबा 0.8700 हे0 कृषि भूमि प्रार्थीगण व विपक्षीगण संख्या 1 से 6 कि संयुक्त खातेदारी की आराजी है एवं विपक्षी सं0 7 से 13 सभी पडोसी सभी पडोसी है तथा प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य खेत कि हकाई,जुताई बुवाई घास कि कटाई, लगान जमा कराने आदि को लेकर विवाद होता रहता है जिसके स्थाई समाधान हेतु मुझ प्रार्थी ने विपक्षीगण को तहसील में चलकर सहमति से कृषि आराजी कि पत्थरगढी कराये जाने कि बात दिनांक 30/12/2018 को कही तो विपक्षीगण के द्वारा कोई सन्तोषप्रद जवाब नही देने से प्रार्थना–पत्र न्यायालय श्रीमान् के यहाँ प्रस्तुत किया है अतः प्रार्थना–पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना–पत्र बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। सभी विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। बावजूद सूचना विपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित नही आने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। तत्पश्चात प्रार्थी अधिवक्ता कि एकतरफा बहस सुनी गयी। बहस में अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बताया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया उक्त प्रार्थना–पत्र में वर्णित कृषि भूमि का स्थायी सीमाज्ञान पत्थरगढी ... का आदेश प्रदान फरमावे।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया, मनन ... प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण कि संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि कि पत्थरगढी कराया जाना उचित प्रतीत ... है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण का अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बेगूँ को 500/–रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, मौजा हरपुरा पटवार हल्का पारसोली तहसील बेगूँ खाता संख्या 20 में अंकित आराजी नम्बर 136,156 रकबा 0.4300 हे0, खाता संख्या 21 आराजी संख्या 109,110,111 रकबा 0.2900 हेक्टर तथा खाता संख्या 22 में अंकित आराजी संख्या 132,158,159 रकबा 0.8700 हे0 भूमि की पत्थरगढी मोके पर फसल न होने कि स्थिति पर प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 11.06.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:43:35 IST
Reason: SelfAttested